बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 07/05/26

संचिका संख्या–07/मु0–01–13/2025 1522/ यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–17828/2023 (संजीव कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक–03.01.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"...Considering the fact that petitioners' case is squarely covered by the order passed in C.W.J.C. No. 7938 of 2020, the petitioners are directed to file a detailed representation along with a copy of the order passed in C.W.J.C. No. 7938 of 2020 before the respondent no. (the Director, Primary Education, Bihar, Patna) and the respondent no. is well advised to consider the case of the petitioners after affording opportunity of personal hearing or through their counsel and pass a reasoned and speaking order in accordance with law within eight weeks after receiving such representation. It is made clear that the respondent no. shall be personally responsible for non-compliance of this order within the stipulated period. Accordingly, this writ petition stands disposed of...."

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ताओं द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अभ्यावेदन के क्रम में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा सुनवाई करते हुए श्री संजीव कुमार मिश्रा एवं अन्य के मांग प्रतिवेदन पर सम्यक् रूप से विचार किया गया एवं नियमानुकूल आदेश पारित किया जा रहा है।

4. वादीगण का कथन है कि हमलोगो की नियुक्ति नियमित सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक–22.09.1997 को अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई थी। साथ ही वादीगण का कथन है कि उनका प्रशिक्षण विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों से एक वर्षीय प्रशिक्षण नियमित माध्यम में सत्र 1999–2000 का है, जो क्रमशः 22.05.2000 में सम्पन्न हो गया था। जिसकी परीक्षा वर्ष 2004 में एक साथ आयोजित करते हुए परीक्षाफल जून 2005 में प्रकाशित की गयी।

5. समरूप मामले में CWJC No- 16165/2019 (किशोर कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक– 09.08.2019 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक– 547 दिनांक– 22.06.2020 के द्वारा प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान वैचारिक रूप से स्वीकृत करते हुए वित्तीय लाभ परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से दिये जाने का निदेश दिया गया

है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई। जिसे निरस्त कर दिया गया है।

6. अंकनीय है कि CWJC No- 7938/2020 मनोज कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय पत्रांक– 07/मु0–01–46/2020–547 दिनांक–22.06.2020 को निरस्त करते हुए वादी को प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने के तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान एवं वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया गया है।

7. विभागीय ज्ञापांक–571 दिनांक–13.06.2023 द्वारा श्री कुलानन्द मंडल प्रभारी प्र0अ0, प्राथमिक विद्यालय, बथना, प्रखण्ड+पो0–मनसाही, जिला–कटिहार ने राज्य अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील वाद सं0– O.A. 140/2022 कुलानन्द मंडल बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में राज्य अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक–17.01.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में आवेदक को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त विरमन की तिथि 01.01.1999 से विभागीय पत्रांक–547 दिनांक–22.06.2020 में निहित प्रावधान के आलोक में प्रशिक्षण पूर्ण करने के तिथि से Notional एवं परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से वित्तीय लाभ दिया गया हैं।

8. विदित है कि विभागीय संकल्प संख्या–12 दिनांक–05.01.2015 के कंडिका–04(ii) बिहार प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली 1991 के अन्तर्गत दिनांक–05.09.1997 के उपरांत नियुक्त उच्च योग्यताधारी अप्रशिक्षित (अनुकम्पा सहित) शिक्षक जिन्होनें शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा 2004 में सम्मिलित होकर प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण हुए उन्हें भी दिनांक–01.10.2003 से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाय। याचिकाकर्त्ता को दिनांक–01.10.2003 से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान दिया जा रहा है।

9. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वादी के दावे को CWJC No- 16165/2019 (किशोर कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) के समरूप मानते हुए वादी को प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान वैचारिक (Notionally) रूप से स्वीकृत करते हुए वित्तीय लाभ परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से दिये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतएव उक्त निर्णय के साथ मामले को निस्तारित किया जाता है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु0–01–13/2025......1577........ पटना, दिनांक....07/05/26...

प्रतिलिपिः– श्री संजीव कुमार मिश्रा, पिता– श्री रामसुन्दर मिश्रा, पता– नियर हनुमान मंदिर, छाग्राहन, पो0–छपरा बहस, जिला–पूर्वी चम्पारण, पिन– 845435/श्री उमाकान्त सिंह, पिता–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, कवैया, पो0–कवैया, घोड़ासहन, जिला–पूर्वी चम्पारण, पिन–845303/श्री असीम

कुमार सिंह, पिता–यमुना सिंह, पता–नियर हाई स्कूल, चैता, पो0–चैता, जिला–पूर्वी चम्पारण, पिन–845414 को सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु0–01–13/2025 1577 पटना, दिनांक 07/05/26

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा